<u>न्यायालयः— तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बालाघाट, जिला—बालाघाट (म०प्र०)</u> { पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

<u>व्यवहार वाद क्र. 92-ए/2017</u> संस्थापन दि. 26.07.2017 सी.एन.आर नं. एम.पी.50010034132017

- 1. शांताबाई बेवा नैनलाल, उम्र 60 वर्ष, जाति नगारची,
- 2. बलदेव वल्द नैनलाल, उम्र 36 वर्ष, जाति नगारची,
- 3. मोहरलाल वल्द नैनलाल, उम्र 32 वर्ष, जाति नगाराची, सभी निवासी ग्राम रोशना तहसील व जिला बालाघट, हाल निवासी ग्राम हीरापुर तहसील व जिला—बालाघाट(म0प्र0)

वादीगण

// विरूद्ध //

- 1. तहसीलदार बालाघाट, तहसील कार्यालय बालाघाट
- 2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट

🥋 जिला बालाघाट (म.प्र.) <u>प्रतिवादी ग</u>

वादी / आवेदक द्वारा श्री अरविंद राय अधिवक्ता। प्रतिवादी / अनावेदकगण द्वारा श्री अभिजीत बापट शासकीय अधिवक्ता।

🖊 / आदेश / /

{ आज दिनांक 18.08.2017 को घोषित }

- 1— इस आदेश द्वारा वादीगण/आवेदकगण की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश—39 नियम—1 व 2 तथा धारा—151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर—1 का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर—1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/आवेदकगण के पित एवं पिता नैनलाल वल्द हगरू ग्राम रोशना समनापुर का निवासी था, एवं जाित का नगारची होने के कारण से लोगों के यहां उनके बुलाने पर उनके यहां बाजा बजाने का कार्य कर एवं बाकी समय पर लोगों के यहां पर कृषि मजदुरी एवं ईटा बनाने का कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता था, नैनलाल जाित का नगारची था जो शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जन जाित की श्रेणी में आता था एवं उसके गरीब व भूमिहीन होने के कारण से ग्राम पंचायत रोशना द्वारा उसे ग्राम रोशना प.ह.नं.10 रा.नि.मं बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट के खसरा नं. 38 रकबा 1.214 है भूमि जो राजस्व प्रलेखों में आबादी की मद में दर्ज है आवासी पट्टा प्रदान किया था। उसने उस भूमि पर कच्चे मकान का निमार्ण किया जिस पर वह अपने परिवार के साथ निवास करता था एवं अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नैनलाल को 8—9 वर्ष पहले लकवा की बीमारी हो गई थी इस कारण वह अपनी पत्नी शांताबाई के साथ रोशना में ही रहता था उसकी देखभाल उसके पुत्र करते थे और रोशना आते जाते रहते थे आयु की अधिकता होने के कारण

से नैनलाल के पुत्रों ने उसे अपने पास हीरापुर में ला कर रख लिया था एवं आर्थिक अभाव एवं पैसों की कमी के कारण से रोशना स्थित मकान की ठीक से देख रेख ना होने के कारण से आज से दो तीन वर्ष पहले मकान गिर गया एवं वर्ष 2014 में नैनलाल की मृत्यु हो गई, किंतु बीच—बीच में वे ग्राम रोशना आते जाते रहते थे। वादीगणों के पिता एवं पित को ग्राम रोशना में जो भूमि आवासी पट्टे पर मिली थी उस पर बना मकान आर्थिक तंगी एवं देखरेख के अभाव में गिर गया था उस मकान के सामने वादीगणों के गैरहाजरी में ग्राम रोशना के निवासी जितेन्द्र कुमार ठाकरे द्वारा लकड़ी का एक पान का ठेला लगा लिया था जब वादीगण ग्राम रोशना आये तो उनके द्वारा जितेन्द्र से उन्हें पटटे पर प्राप्त भूमि पर से अपना पान का ठेला हटा लेने को कहा जिस पर जितेन्द्र ढाकरे द्वारा वादी/आवेदकगणों को यह आश्वासन दिया गया कि वह शीघ्र ही उनकी भूमि पर से अपना ठेला हटा लेगा।

3— वादी/आवेदकगण ने आगे कथन किया है कि वादीगणों द्वारा कुछ राशी जमा करके एवं कुछ राशि लोगों से उधार ले कर ग्राम रोशना में उनके पिता एवं पित को जो भूमि पट्टे पर मिली थी उस पर अपने निवास हेतु मकान निर्माण का कार्य चालू किया, जिस पर जितेन्द्र टाकरे द्वारा झूटे आधारों पर तहसीलदार बालाघाट को शिकायत कर दी, जिसे तहसीलदार बालाघाट द्वारा दिनांक 08.03.2017 को अपना आदेश पारित करते हुए वादीगणों के पिता एवं पित को जारी पट्टा निरस्त कर खाली भूमि शासन के हित में लेने का आदेश पारित करते हुए वादीगण की बेदखली का आदेश पारित कर आदेश के पालन में राजस्व अधिकारी द्वारा वादीगणों के द्वारा अपने रहवासी प्रयोग हेतु किये गये मकान निर्माण को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तहसीलदार बालाघाट द्वारा रा.प्र.कं. 671 बी 121 वर्ष 2015—16 में वादीगणों को पट्टे पर प्राप्त आवासी भूमि को शासन के हित में करने का आदेश पारित किया है। उसके आधार पर की जा रही पूर्ण कार्यवाही को अवैध व शुन्य घोषित किया जावे। अतः वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तृत आवेदन निरस्त किया जावे।

4— प्रतिवादीगण/अनावेदकगण ने वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि तहसीलदार बालाघाट द्वारा पटवारी हल्का के पटवारी से प्रतिवेदन बुलाया गया, जिसके अनुसार नैनलाल वल्द हगरू का कच्चा मकान निर्मित होने तथा पूर्व में गिरने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया था साथ ही वादी कं. 1 के ग्राम हीरापुर में निवास करने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके संबंध में उस हल्के के पटवारी द्वारा पंचनामा भी तैयार किया गया था। अनावेदक कं. 1 द्वारा आवेदकगण के 20—25 वर्ष पूर्व छोड़कर चले जाने के आधार पर तथा खाली भूमि शासन हित में मानी जायेगी के आधार पर बेदखली की कार्यवाही की गई है। आवेदकगण अपना मकान हीरापुर में बनाकर रहने लगे हैं और रोशना से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है जिसके कारण नैनलाल को जारी पट्टा निरस्त किया गया है। आवेदक कं. 1 द्वारा की गई कार्यवाही सद्भावी एवं शासन के हित में होने से आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी / आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदकके पक्ष में है ?
- 3— क्या वादी / आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण / आवेदकगण ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पटवारी हल्का नंबर 10 खसरा नं. 38 रकबा 1.14 हेक्टेयर का आवासीय पट्टा दिया गया था, जहां पर नैनलाल ने अपने मकान का निर्माण किया और वे लोग वहां निवास करते थे निनलाल को 8–9 वर्ष पहले लकवा की बीमारी हो गई थी, वह अपनी पत्नी के साथ रोशना में रहने लगा था, इसके पुत्र रोशना आते जाते रहते थे, आर्थिक अभाव व पैसों की कमी के कारण वादग्रस्त भूमि पर बना मकान दो तीन वर्ष पूर्व गिर गया और वर्ष 2014 में नैनलाल की मृत्यु हो गई। जब उन लोगों के पास कुछ राशि जमा हुई तो उन्होंने मकान निर्माण का कार्य चालू किया, उक्त जमीन पर जितेन्द्र टाकरे लकड़ी का पान ठेला लगा रहा था, जब उसको मना किया तो उसने तहसीलदार को शिकायत की, तो तहसीलदार ने बिना उन्हें सुने, उनका पट्टा निरस्त कर दिया, जबकि वादीगण/आवेदकगण नैनलाल के वारिस हैं और वादग्रस्त भूमि उन्हें विरासतन हक के रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है, यदि उन्हें बेदखल किया जाता है कि उन्हें सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होगी। अनावेदक / प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का पट्टा नैनलाल को दिये जाने का कथन करते हुए उक्त भूमि पर बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व से आवेदकगण के द्वारा भूमि छोड़कर चले जाने के आधार पर बेदखली की कार्यवाही करना बताया है तथा पट्टा निरस्त किये जाने का कथन किया है।

वादीगण / आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का और प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी / आवेदकगण की ओर से पट्टे की फोटोकापी प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 01.01.1984 को नैनलाल को ग्राम रोशना में पट्टा दिये जाने का उल्लेख है। वादीगण/आवेदकगण के पति/पिता नैनलाल को पट्टा प्रदान किया गया था, जिसे प्रतिवादीगण / अनावेदकगण ने स्वीकार किया है। अतः यह तथ्य अभिलेख पर है कि नैनलाल को पट्टा प्रदान किया गया था, किंतु प्रतिवादीगण/अनावेदकगण ने पट्टा निरस्त किये जाने का यह कारण बताया है कि बीस पच्चीस वर्ष से उक्त भूमि रिक्त रही है, इस कारण से पट्टा निरस्त किया गया है जबकि वादीगण / आवेदकगण ने नैनलाल को लकवा की बीमारी के कारण अपने पुत्रों के पास हीरापुर में रहना बताया है और वादग्रस्त भूमि पर आते जाते रहने का कथन किया है तथा दो तीन वर्ष पूर्व मकान गिर जाने का भी कथन किया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर निरंतर आधिपत्य रहा है इस संबंध में वादीगण की ओर से आसपास के लोगों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। वादीगण ने अपने आवेदन में यह उल्लेख किया है कि उनकी भूमि पर जितेन्द्र ठाकरे ठेला लगा रहा था, इससे भी यह दर्शित होता है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य नहीं रहा है और आधिपत्य न होने के कारण रिक्त भूमि पर शासन के द्व ारा पट्टा निरस्त किया गया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर निरंतर आधिपत्य रहा है यह साक्ष्य का विषय है और इस प्रश्न का निराकरण उभय पक्ष की साक्ष्य आने के उपरांत ही किया जा सकेगा। किंतू इस स्टेज पर वादीगण की ओर से ऐसा आसपास के लोगों के शपथपत्र या कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे की वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा दर्शित होता है। प्रतिवादीगण/अनावेदकगण के द्वारा

विधिपूर्ण तरीके से कार्यवाही की जा रही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में दिखाई नहीं देता। जब प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं है तो उसे अपूर्णीय क्षति एवं असुविधा की संभावना भी दिखाई नहीं देती है।

8— अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ वादी/आवेदकगण के पक्ष में न होने से वादी/आवेदक का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश—39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. आई.ए.नंबर—1 का विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

THERE SHEET BY SEEL SHEET STREET STRE

9— इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा। आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही / —
(अपर्णा आर.शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 तृती
बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (अपर्णा आर. शर्मा) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 बालाघाट (म.प्र.)